


दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
09.06.2025	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबधित मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के अभाव में इस पत्रावली पर कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के अभाव में खारिज किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 04.02.20219 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न कर रहे।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज०)</p>	